न्यायालय नायब तहसीलदार शिव जिला बाड़मेर

राजस्व प्रकरण मामला संख्या 16/2024 अर्न्तगत धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956

सायल **बनाम** **गैर सायल**

राजस्थान राज्य
जरिये पटवारी हल्का नागड़दा।

श्री किशनसिंह पुत्र नवलसिंह
कौम राजपूत निवासी बूलो की ढ़ाणी।

"निर्णय" **दिनांकः– 18.10.2024**

पत्रावली आज बमुकाम नागड़दा में पेश हुई और गैर सायल उपस्थित। पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का **नागड़दा** ने धारा आर.एल.आर. एक्ट 91 के तहत रिर्पोट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गै.सा. ने मौजा **बूलों की ढ़ाणी** के खसरा नं. 489/47 रकबा **26.9358** हैक्टैयर में से **05.00** बीघा किस्म **गैर मुमकिन धोरा** राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण काश्त/कब्जा किया है। पटवारी हल्का की रिर्पोट के अनुसार गैर सायल के विरूद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस से सुनवाई हेतु तलब किया गया। नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ/और गैर सायल ने उपस्थित होकर पटवारी रिपोर्ट अनुसार अतिक्रमण करना स्वीकार किया।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर एक्ट 1956 की धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि पर से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते है। साथ ही वार्षिक लगान रूपये **0.60** पैसा का गुणा 50 जुर्माना राशि रूपये **30.00** पूर्णाक में **30.00** अक्षरे **तीस** रूपये मात्र से आरोपित किया जाता है । जो गैर सायल से वसूल हो।

निरीक्षक भू.अ. वृत **निम्बला** को आदेशित किया जाता है कि वह मौके पर खड़ी फसल को तत्काल कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर फसल नीलामी फर्द वास्ते अनुमोदनार्थ एवं स्वीकृति हेतु 15 योम में पेश करें।

पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वह गैर सायल को भौतिक रूप से बेदखल कर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यक रूप से एक माह में पेश करे।

टी.आ.ए. पटवारी हल्का,निरीक्षक भू.अ. आदेश से सूचित हो तथा पत्रावली टी.आर.ए. के पास मांग कायमी हेतु भेजी जावें।

निर्णय दिनांक **18.10.2024** को सरेआम सुनाया गया

नायब तहसीलदार शिव
नायब तहसीलदार शिव